भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं .41

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा

*41. श्री राम प्रसाद चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो टोल प्लाजा के बीच निर्धारित की गई न्यूनतम दूरी कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हर्रैया के चौकड़ी टोल प्लाजा और मड़वा नगर के बीच की दूरी निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा मड़वा नगर टोल प्लाजा को बंद किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

<u>विवरण</u>

"उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा" के संबंध में श्री राम प्रसाद चौधरी द्‌वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *41 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार स्थापित किए जाते हैं, जिसमें नियम 8 के उप-नियम (2) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ही खंड पर और एक ही दिशा में कोई अन्य शुल्क प्लाजा साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा। उक्त नियमों के परन्तुक में कहा गया है कि निष्पादन प्राधिकारी किसी शुल्क प्लाजा से साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर, जहां आवश्यक समझे, वहां लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर एक अन्य शुल्क प्लाजा और यदि ऐसा शुल्क प्लाजा किसी स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के लिए शुल्क संग्रहण के लिए है, तो स्थापित करने या रियायतग्राही को शुल्क प्लाजा स्थापित करने की अनुमति दे सकता है।

इसके अलावा, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली के बंद होने की स्थिति में, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी शुल्क प्लाजा स्थापित किए जा सकते हैं।

(ख) और (ग) बस्ती जिले के हर्रैया के चौकड़ी प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा और मड़वानगर के बीच की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों और संविदा करार की शर्तों के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित 1 मार्च, 2012 (चौकड़ी प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा) और 6 अगस्त, 2012 (मड़वानगर प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा) की प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार स्थापित किए गए हैं। चौकड़ी प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा (राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के किमी 163+00 पर स्थित) के लिए प्रयोक्ता शुल्क दरें परियोजना प्रभावित लंबाई किमी 135+000 से 190+00 तक अर्थात् 55 किमी लंबाई के आधार पर वसूली जाती हैं। इसी तरह, मड़वानगर शुल्क प्लाजा (रारा-27 के किमी 198+00 पर स्थित) के लिए प्रयोक्ता शुल्क दरें परियोजना प्रभावित लंबाई किमी 190+000 से 252+860 तक अर्थात् 62.86 किमी के आधार पर वसूली जाती हैं, जो चौकड़ी शुल्क प्लाजा की प्रभावित लंबाई से ओवरलैप नहीं होती हैं। संबंधित शुल्क प्लाजा की परियोजना प्रभावित लंबाई के आधार पर प्रयोक्ता शुल्क वसूला जाता है।

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि शुरूआत में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों पर उपलब्ध तकनीक से निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली को फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू किया जाएगा।

*****